# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या—61 / 2024 दायर दिनांक—07.10.2024

जीसीएमएस नं. 2024 / 451

1. द्वारकाप्रसाद पुत्र किशोरीलाल
2. नगेन्द्रमोहन पुत्र रामचरण
3. इन्द्रा पुत्री मदनलाल
4. कल्याण प्रसाद पुत्र चौथीलाल
5. गयाप्रसाद पुत्र मदनलाल
6. गीता पुत्री मदनलाल
7. धम्मन्ती पत्नि मदनलाल
8. पूरन पुत्र मदनलाल
9. प्रेमलता पुत्री सुआलाल
10. प्रेमलता पत्नि हरिप्रसाद
11. प्रवीण पुत्र मदनलाल
12. पुरूषोत्तम पुत्र सुआलाल
13. पुष्पेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र सुआलाल
14. मुरारीलाल पुत्र मदनलाल
15. मायादेवी पुत्री सुआलाल
16. राधामोहन पुत्र किशोरीलाल
17. रामभरोसी पुत्र रामचरण
18. रामेश्वर प्रसाद पुत्र चौथीलाल
19. लक्ष्मी पुत्री मदनलाल
20. विक्रम चतुर्वेदी पुत्र सुआलाल
21. विशेष पुत्र हरिप्रसाद
22. विष्णु कुमार पुत्र रामचरण
23. वीणा शर्मा पुत्री सुआलाल
24. सरवती पुत्री चौथीलाल
25. सीमा पुत्री मदनलाल
26. सोमलता शर्मा पुत्री सुआलाल
27. हेमलता शर्मा पुत्री सुआलाल

जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन जिला करोली राज0

————प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरोठ जिला करौली राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:28 IST
Reason: Self attested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] एलआर एक्ट

राजस्थान भू—राजस्व अ[illegible]नियम 1956

उपस्थित— 1 .श्री पीएल गोयल प्रार्थीगण
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

Scanned with OKEN Scanner

# निर्णय

दिनांक—

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा न0 1503, 1504, 1505 मिन, 1506, 1506 मिन, 1507, 1508 कुल किता 07 कुल रकबा 2.70 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन, तहसील हिण्डौन जिला करौली है। उक्त आराजीयात सायलान के बुजुर्गान की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की रही है तथा सायलान के बुजुर्गान का देहावसान होने पर सायलान उक्त आराजीयात पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज व दखील है।

सैटलमेंट कर्मचारी अधिकारियों ने उपरोक्त आराजीयात मुतजिका मद न0 01 प्रार्थना के साबिक खसरा न0 1505 मिन 1506 के नये खसरा न0 45 व 44/9943 कायम किये। जिसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा नये नम्बर कायम करते समय खसरा न0 44/9943 की किस्म साबिक रिकॉर्ड के अनुरूप बारानी के स्थान पर गैर मुमकिन रास्ता विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर दिया है, जिसका कि उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं था, कानूनन सैटलमेंट अधिकारी/कर्मचारी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राजात में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल मात्र पुराने इन्द्राजात को पुनः रिपीट कर सकते है, मगर सैटलमेंट कर्मचारियो ने उक्त खसरा न0 की भूमि की किस्म साबिक राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी के अनुसार दर्ज न करके मनमर्जी तरीके से अवैधानिक रूप से बारानी के स्थान पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया, जबकि मोके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता कभी नहीं रहा तथा उक्त आराजीयात प्रारम्भ से ही काश्त की भूमि रही है और वर्तमान में भी काश्त की भूमि है। इस प्रकार सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा की गयी उक्त अवैधानिक कार्यवाही को दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

सायलान द्वारा आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 02 प्रार्थना पत्र में वर्णित हाल खसरा न0 की ऑनलाइन जमाबंदी ई–मित्र के माध्यम से निकलवाई तो सायलान को उक्त खसरा न0 44/9943 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने की जानकारी हुई, जिसे देखकर सायलान हक्के बक्के रह गये और उक्त गलती की दुरूस्ती हेतु सायलान तहसीलदार हिण्डौन के पास 30.09.2024 गये तो उन्होने उक्त दुरूस्ती को करने से इंकार कर दिया और न्यायालय हाजा में चाराजोही करने को कहा, जिस पर उक्त दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सायलान की खातेदारी की भूमि खसरा न0 44/9943 स्थित कस्बा हिण्डौन की किस्म गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर साबिक रिकॉर्ड के अनुरूप बारानी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में दुरूस्ती फरमायी जावे और इस हेतु तहरीर तहसीलदार हिण्डौन को जारी फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन के द्वारा पत्रांक 6053 दिनांक 25.10.2024 जबाब न्यायालय हाजा में पेश हुआ जो निम्नानुसार है:–

1. बिन्दु संख्या 1 इस हद तक स्वीकार है कि साविक आराजी खसरा नं0 1503 लगा0 1508 रकबा 2.70 है0 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सायलान संयुक्त दर्ज खातेदारी है, शेष तथ्य अस्वीकार है।
2. बिन्दु संख्या 2 इस हद तक स्वीकार है कि हाल खसरा नं0 44 रकबा 2.16 है0, 45 रकबा 0.44 है0 तथा खसरा नं0 44/9943 रकबा 0.10 है0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साविक खसरा नं0 1503 लगा0 1506 से बने हैं, शेष तथ्य अस्वीकार हैं।
3. बिन्दु संख्या 3 अस्वीकार है।
4. बिन्दु संख्या 4 कानूनी है।
5. बिन्दु संख्या 5 कानूनी है।

उनवानी प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट सायल द्वारा माननीय न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि हाल खसरा नं0 44/9943 रकबा 0.10 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता जो दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, के साविक खसरा नं0 1506 मिन0 से बना होना मुताबिक मिलान क्षेत्रफल है, मौके पर कभी रास्ता नहीं रहा है की विधि सम्मत शुद्धी की जावे, के कम में जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का कस्बा हिण्डौन ने अंकित किया है कि गत व हाल भू नक्शा मिलान करने पर खसरा नं0 44/9943 गत खसरा नं0 1503, 1504 व 1505 में से होकर निकलना प्रतीत होता है। खसरा नं0 44/9943 रकबा 0.10 है0 मौके पर स्थित नहीं होकर खसरा नं0 44 में समाहित है एवं रास्ते के रूप में उपयोग नहीं आ रहा है। इस प्रकार खसरा नं0 44/9943 रकबा 0.10 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता साविक खसरा नं0 1506 से बना होना मुताबिक मिलान क्षेत्रफल है वह सही प्रतीत नहीं होता है। जिसकी विधि सम्मत शुद्धी किया जाना उचित है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2036–40 साबिक खसरा न0 1505, 1506 तहसील हिण्डौन, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 2216 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की प्रति पेश की गई हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और खसरा न0 44/9943 स्थित कस्बा हिण्डौन की किस्म गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर साबिक रिकॉर्ड के अनुरूप बारानी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में दुरूस्ती फरमाने और इस हेतु तहरीर तहसीलदार हिण्डौन को जारी करने का निवेदन किया है एवं पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में कहा कि खसरा नं0 44/9943 गत खसरा नं0 1503, 1504 व 1505 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

होकर निकलना प्रतीत होता है। खसरा न0 44/9943 रकबा 0.10 है0 मौके पर स्थित नही होकर खसरा न0 44 मे समाहित है एवं रास्ते के रूप में उपयोग नही आ रहा है। इस प्रकार खसरा न0 44/9943 रकबा 0.10 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता साबिक खसरा न0 1506 से बना होना मुताबिक मिलान क्षेत्रफल है वह सही प्रतीत नही होता है। जिसकी विधि सम्मत शुदधी किया जाने का अभिशंषा सहित निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी संवत 2036–40 साबिक खसरा न0 1505, 1506 तहसील हिण्डौन, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 2216 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण में सैटलमेंट से पूर्व उक्त विवादित आराजीयात के खसरा न0 1506 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा की किस्म बंजड में दर्ज थी, सैटिलमेंट पश्चात साबिक खसरा न0 1506 के हाल खसरा न0 44/9943 रकबा 0.10 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की किस्म बंजड से गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दी गयी उक्त प्रकरण में विवादित आराजी के तहसीलदार हिण्डौन के जवाब अनुसार मौके पर कभी रास्ता नही होना अंकित किया है। जिससे तहसीलदार हिण्डौन उक्त जवाब में साबिक खसरा न0 1506 किस्म बंजड प्रथम के नवीन खसरा न. 44/9943 रकबा 0.10 है0 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बंजड प्रथम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार हिण्डौन को आदेशित किया जाता है कि वादीगण आराजी खसरा न0 हाल 44/9943 रकबा 10 ऐयर स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की किस्म गैरमुमकिन रास्ता को शुद्ध करते हुए साबिक रिकॉर्ड के अनुरूप बंजड प्रथम किया जाता है, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त शुद्धी का अमल करने हेतु पृथक से तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/11/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:28 IST
Reason: SelfAttested

5/11/24
(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned with OKEN Scanner